36

# समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

अपील प्रकरण कमाक /2016 जवलपुर

श्रीमती जानकी बाई भूमियॉ पत्नी देव सिंह निवासी – ग्राम ललपुर तहसील शहपुरा जिला जवलपुर म.प्र.

..अपीलार्थी

विरूद्ध

1. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला जवलपुर ।
2. भागचंद राय पुत्र श्री लक्ष्मी प्रसाद राय निवासी भेडाघाट तहसील व जिला जवलपुर ।

.....प्रत्यार्थीगण

न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त जवलपुर द्वारा प्रकरण क 218/अ–21/2014–2015 अपील मे पारित आदेश दिनांक 08.02.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू – राज्य संहिता 1959 की धारा 44 के अधीन अपील ।

माननीय महोदय ,

सेवा मे अपीलार्थी की ओर से निवेन निम्न प्रकार है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एंव विधि के उपवन्धो के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलाथी द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम ललपुर तहसील शहपुरा जिला जवलपुर में स्थिति भूमि खसरा नं. 211 एकवा 1.690हे. भूमि अपीलार्थी की स्वयं की निजी कृर्षि भूमि है जो भूमि कम उपजाउ है जिससे उसमे फसल पैदा नही हो पाती ऐसी स्थिति मे उक्त भूमि को विकय कर पुत्री के विवाह एंव अपनी बीमारी का इलाज चल रहा हैं रूपयो की आवश्यकता हेतु भूमि को विकय किये जाने की अनुमति चाही गई है जो विकय हेतु प्रर्याप्त रूप से कारण है। इस हेतु प्रत्यर्थी से अनुवंध किया है ऐसी स्थिति मे उसे भूमि विकय की अनुमति दी जावे ।
3. यहकि, अपीलार्थी के पास उक्त भूमि विकय करने के वाद भी अपीलार्थी के पास 5.43 एकड हेक्टे. भूमि शेष बचना वताया गया है। एंव आवेदित भूमि बिकय पश्चात अपीलार्थी के आर्थिक हितो पर कोई प्रभाव नही पडेगा ।
4. यहकि, माननीय श्रीमान न्ययालय द्वारा भी कई प्रकरणो मे उक्त भूमि विकय करने की अनुमति प्रदान की है इसलिये समान प्रकृति व समान नेचर का होने से उक्त भूमि विकय की अनुमति की आवश्यकता है।

अपील 1462 ./16 (जबलपुर)

7-6-16

प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह अपील अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्र0 क0 218–अ–21/14–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 8–2–2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/. प्रकरण का सारॉश यह है कि कलेक्टर जबलपुर के समक्ष आवेदन देकर अपीलांट श्रीमती जानकीवाई ने निजी खाते की ग्राम ललपुर तहसील सहपुरा स्थित भूमि सर्वे क0 211 रकबा 1.690 हैक्टर के विक्रय हेतु अनुमति दिये जाने की मांग की। कलेक्टर जबलपुर ने प्रकरण कमांक 24 अ–21/13–14 पंजीबद्व किया एंव अपीलांट के आवेदन में अंकित तथ्यों की जॉच कराते हुये आदेश दिनॉक 19.11.14 पारित करके अपीलांट का आवेदन अमान्य कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने प्रथम अपील अपर

XXXIx(a)BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 1462–एक/2016 अपील जिला जबलपुर

| दिनांक तथा क्रमांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों / अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|

आयुक्त, जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ने प्रकरण क्रमांक 218/अ–21/14–15 अपील में पारित आदेश दिनॉक 8–2–16 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह द्वित्तीय अपील है।

3/ अपील मेमो में अंकित आधारों पर अपीलांट के अभिभाषक श्री सुनील जादौन एंव म0प्र0शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपीलांट ने निजी खाते की भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम ललपुर तहसील शहपुरा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 211 रकबा 1.690 हैक्टर के विक्रय की अनुमति इस आधार पर चाही है कि उसके पास विक्रय की जाने वाली भूमि के अतिरिक्त परिवार की गुजर–बसर के लिये पर्याप्त मात्रा में 5.43 हैक्टर भूमि है जिसके कारण अपीलांट भूमिहीन नहीं होगी। भूमि विक्रय वह इसलिये कर रही है क्योंकि उसे पुत्री का विवाह करना है एंव बीमारी का इलाज भी कराना है। कलेक्टर व्दारा अपीलांट के आवेदन में वर्णित तथ्यों की जॉच अधीनस्थ राजस्व अधिकारी से कराई है जिन्होंने भी विक्रय का प्रयोजन सदभाविक होना बताया है। प्रकरण में विचार योग्य बिन्दु है कि क्या भूमिस्वामी स्वत्व पर अंकित चली आ रही भूमि का भूमिस्वामी भूमि विक्रय कर सकता है अथवा नहीं ?

XXXIx(a)BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 1462–एक/2016 अपील जिला जबलपुर

| तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों / अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|

1. आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या0 विरूद्व म0प्र0 राज्य तथा अन्य एक 2013 रा0नि0 8 में माननीय उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि –

(1) भू राजस्व संहिता 1959 (म0प्र0) धारा 165 (7–ख) तथा 158 (3) का लागू होना – उपबंधों के अंतः स्थापन से पूर्व का पटटा तथा भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये – बिना अनुमति के भूमि का अंतरण – उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया – उपबंध आकर्षित नहीं होते – भूमिस्वामी का अंतरण का अधिकार निहित अधिकार है।

(2) विधि का निर्वचन का सिद्वांत – नवीन उपबंध का अंतःस्थापन – भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया – ऐसे उपबंध भूतलक्षी प्रभावी होने की उपधारणा नहीं की जा सकती।

2. दयाली तथा एक अन्य विरूद्व महिला श्यामवाई 2004 रा0नि0 183 में व्यवस्था दी गई है कि भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (7–ख) सरकारी पटटेदार व्दारा आवंटन के 10 वर्ष पश्चात् भूमिस्वामी अधिकार अर्जित किये – भूमि का विकय कर सकता है। कलेक्टर की अनुज्ञा आवश्यक नहीं है।

अतः स्पष्ट है कि अपीलांट को वादग्रस्त भूमि के विकय की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की बैधानिक अड़चन नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक 218/अ.21/14–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 8–2–16 तथा कलेक्टर जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक

XXXIx(a)BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 1462–एक/2016 अपील जिला जबलपुर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों / अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|

424/अ–21/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 19–11–14 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा अपील स्वीकार की जाकर अपीलांट को ग्राम ललपुर तहसील शहपुरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 211 रकबा 1.690 हैक्टर के विकय की अनुमति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है कि :–

1. भूमि कय विकय का दस्तावेज इस आदेश के तीन माह की समयावधि के भीतर कराना अनिवार्य है।
2. भूमि का कय–विकय पंजीयन दिनांक को प्रचलित शासकीय गाईड लायन के मान से किया जावेगा
3. विकय प्रतिफल विकेता को प्राप्त हो गया है , सन्तुष्टि उपरांत ही उप पंजीयक विकय पत्र का निष्पादन करेंगे।

सदस्य